

221327

Bhilai Steel Plant - Town Electrical & Engineering Department (BSP- TEED)
Steel Authority of India Limited

PUBLIC NOTICE

In compliance to the provisions of the Electricity Act, 2003 Section 62, 64, 86 and applicable CSERC (Terms and conditions for Determination of Tariff according to Multi Year Tariff Principle, Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from the Tariff and Charges) Regulations. M/s. Bhilai Steel Plant - Town Electrical & Engineering Department (BSP- TEED), a distribution licensee in its area of operations in Bhilai Steel Plant township, has filed a petition for tariff determination for FY 2025-26 along with true-up for FY 2023-24 before the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC). This petition is registered as Petition No. 04/2025.

BSP-TEED has prayed to increase the tariff for the FY 2025-26, of its consumers to bring it at par with the tariff Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited to ensure that complete recovery towards the expenses incurred because the tariff for its consumers is not increased in similar rates as of CSPDCL.

In addition to above, M/s. BSP-TEED has also proposed to determine retail tariff for FY 2025-26 in such a way that annual revenue requirement (ARR) for FY 2025-26 along with the revenue gap of FY 2023-24 are completely recovered from such tariff. BSP-TEED has submitted revenue gap of Rs. 1650.57 lakhs and Rs. 1462.08 lakhs for FY 2023-24 and FY 2025-26 respectively. The details are given in table below:

(Rs. in lakhs)		
Particulars	FY 2023-24	FY 2025-26
ARR	9729.57	10912.78
Revenue	8079	9450.7
Surplus/(Deficit)	(1650.57)	(1462.08)

Note:- Revenue estimated for FY 2025-26 from existing tariff.

Persons/institutions interested to file objections/suggestions relating to this petition may send the same within 21 days from the publication of this notice to the Secretary, CSERC, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur - 492001, cserc.sec.cg@nic.in and/or petitioner office to the General Manager, BSP (TEED), Town administration building, Civic Center, Bhilai, Durg (C.G) – 490006.

Copy of this notice and the petition are available on the Commission's website www.cserc.gov.in. Hardcopy of the aforesaid petition is also available in office of the Commission and same can be purchased by paying an amount of Rs. 100/- from 11 AM to 4 PM on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 50/- as postal expenses. The Commission shall hold a public hearing on the above petition. Notice for public hearing shall be published by CSERC in the newspaper separately.

General Manager (TEED)
Bhilai Steel Plant

**भिलाई इस्पात संयंत्र
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड**

आम सूचना

बीएसपी-टीईईडी द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64, 64 एवं 86 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहु-वर्षीय टैरिफ सिद्धांत के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के नियम और शर्तें और टैरिफ और शुल्कों से अपेक्षित राजस्व के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया) विनियम के अनुपालन में वर्ष 2023-24 के द्रु-अप तथा वर्ष 2025-26 के विद्युत आपूर्ति हेतु खुदरा दर के निर्धारण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है। इस याचिका को याचिका क्रमांक 04/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

बीएसपी-टीईईडी ने अपने उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ में वृद्धि करने के लिए प्रार्थना की है ताकि इसे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के टैरिफ के बराबर लाया जा सके जिससे कि वर्ष 2025-26 के खर्चों की पूरी वसूली सुनिश्चित हो सके क्योंकि बीएसपी-टीईईडी के उपभोक्ताओं की टैरिफ सीएसपीडीसीएल के अनुपात में नहीं बढ़ाया गया था।

उपरोक्त बीएसपी-टीईईडी द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु खुदरा दर इस प्रकार तय करने हेतु प्रस्तावित किया गया है जिससे कि वर्ष 2023-24 के द्रु-अप के पश्चात् अनुमोदित किए गए राजस्व घाटे सहित वर्ष 2025-26 की सम्पूर्ण वार्षिक राजस्व आवश्यकता की वसूली हो जाए।

बीएसपी-टीईईडी द्वारा वर्ष 2023-24, 2025-26 के सकल राजस्व कमी के रूप में रु.1650.57 लाख, रु.1642.08 लाख प्रस्तावित किया गया है। बीएसपी-टीईईडी द्वारा वर्तमान याचिका में प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता निम्न सारणी में दर्शित है :-

(राशि रु. लाख)

विवरण	FY 2023-24	FY 2025-26
वार्षिक राजस्व आवश्यकता	9729.57	10912.78
राजस्व प्राप्ति	8079	9450.7
राजस्व आधिक्य / (राजस्व कमी)	(1650.57)	(1462.08)

नोट:- वर्ष 2025-26 हेतु लागू विद्युत दर से अनुमानित राजस्व

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति इस आम सूचना के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर-492001, ई-मेल: cserc.sec.cg@nic.in या/एवं महाप्रबंधक, भिलाई इस्पात संयंत्र (टीईईडी) नगर प्रशासन भवन, सिविक सेंटर, भिलाई, जिला - दुर्ग (छ.ग.)- 490006 के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रुपये 100/- का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सांय: 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रुपये 50/- (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त याचिका पर आयोग द्वारा जन-सुनवाई भी की जाएगी। जन-सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी।

महाप्रबंधक

भिलाई इस्पात संयंत्र (टीईईडी)